

वादी द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर विचार हेतु नियत है।

वादी सरोज एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने उनके अधिवक्ता श्री जी.एस.गुर्जर एवं कमलेश शर्मा के साथ उपस्थित होकर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित एवं रंगीन छायाचित्र लगा हुआ राजीनामा आवेदन दिनांक : 18/01/2017 प्रस्तुत किया था। वादी की पहचान श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की पहचान श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

दिनांक 18/01/2017 को वादी सरोज के राजीनामा कथन अंकित किये गये थे।

वादी सरोज के राजीनामा कथन एवं वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया। वादी सरोज ने उसके राजीनामा कथन में यह व्यक्त किया है कि उसका उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 जगदीश, भाई रामनिवास, कौशल एवं बहन प्रीति से राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छापूर्वक किया गया है। उक्त राजीनामा उसके द्वारा दिनांक 18/01/2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजीनामा एवं राजीनामा कथन के अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त भूमि एवं मकान पर वादी का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी ने उसका हिस्सा नगद राशि के रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहती है। उक्त राजीनामे के आलोक में वादी का वाद पूर्ण संतुष्टि में निरस्त किये जाने में वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी सरोज द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। वादी सरोज द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः वादी सरोज की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद उक्त राजीनामे के आलोक में वादग्रस्त भूमि एवं भवन के संबंध में निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जाये।

वादी सरोज की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18/01/2017, उसका राजीनामा कथन एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 21/01/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगी।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी "अ" में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।